डॉ. रमन सिंह

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भाजपा | पूर्व मुख्यमंत्री, छ.ग.

0771-4281001
0771-4281002

EX. C.M. No. 204 DATE: 01 / 04 /2023

मान. श्री पीयूष गोयल जी,

विषय: छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के राशन आवंटन में हुए भ्रष्टाचार के संबंध में।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्रमोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भ्रष्टाचार मुक्त भारत की दिशा में कार्य कर रही है, वहीं छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के राशन आवंटन में शासन का बड़ा भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। राज्य निर्माण के बाद भुखमरी और कुपोषण से जूझ रहे छत्तीसगढ़ में 15 वर्षों की भाजपा सरकार ने पीडीएस के माध्यम से एक जनहितकारी और सुचारू नीति का निर्माण किया था। इस पीडीएस में प्रदेश के गरीब परिवारों के लिए 1 रूपये किलो चावल, निशुल्क नमक और चना की नीति शामिल थी और इस पीडीएस को देश की सर्वोच्च न्यायालय ने आदर्श पीडीएस बताया था लेकिन पिछले साढ़े 4 सालों में यह परिस्थिति पूरी तरह से विपरीत हो चुकी है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार द्वारा पीडीएस में एक बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है।

भाजपा शासनकाल में पीडीएस की पारदर्शिता के लिए खाद्य बिभाग का सॉफ्टवेयर बनाया गया था। इसके माध्यम से प्रदेश की सभी राशनदुकानों के कुल कार्ड के आधार पर हर माह 100 फीसदी कोटा जारी किए जाने का प्रावधान बनाया गया था। इस सॉफ्टवेयर में M1+M2-M3 (M1= पहले महीने का पूरा राशन), (M2=दूसरे महीने का पूरा राशन), M3 = (दो महीने में बिक्री के बाद बचा राशन) का फार्मूला अपनाया गया था। इस प्रक्रिया में तीसरे महीने, बीते दो महीनों के बचे हुए कोटा को घटाकर शेष कोटा देने पारदर्शी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए सभी राशनदुकानों से कंप्यूटराइज्ड घोषणा पत्र लिया जाता था, जिसमे उस राशन दुकान के बचे कोटा, प्राप्त हुए कोटा, बिक्री किये कोटा और बचे हुए कोटे की जानकारी होती थी।

इसके उपरांत फूड इंस्पेक्टर अपने मॉड्यूल से ये जानकारी संचालनालय (Directorate) को हर महीने भेज देते थे, जिसके आधार पर बचे कोटे को घटाकर शेष कोटा दिया जाता था। ये घोषणा पत्र विभाग के सॉफ्टवेयर के जनभागीदारी पोर्टल में दिखता था, लेकिन कांग्रेस के शासन में उक्त व्यवस्था का पालन नही किया गया। हर महीने राशन दुकानों को पूरा कोटा दिया जाता रहा और जिन कार्डधारकों ने कोटा नही लिया वह बचता गया। ये बचत कम से कम 50 फीसदी

ऑफिस: ई-1, सिविल लाइन्स, रायपुर (छ.ग.) | निवास: मौलश्री विहार, [illegible] नगर, रायपुर (छ.ग.)

डॉ. रमन सिंह
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भाजपा | पूर्व मुख्यमंत्री, छ.ग.

0771-4281001
0771-4281002

राशनदुकानों में इतना अधिक हो गया है जिसे 2 से 5 माह तक बांटा जा सकता है। विभाग के ही पत्र में संलग्न जानकारी अनुसार 298 करोड़ रुपये मूल्य का 6 लाख 20 हजार क्विंटल चावल, 12 करोड़ रुपये की 31,990 क्विंटल शक्कर स्टॉक में कम है। खाद्य विभाग के एक अन्य अधिकृत पत्र क्रमांक 67, दिनांक 13.12.2022 के अनुसार ये मात्रा 6 लाख 89 हज़ार क्विंटल चावल और 33,590 क्विंटल शक्कर की कम मात्रा है। जिसे खाद्य मंत्री ने विधान सभा मे स्वीकार किया है। स्पष्ट है कि शासन के द्वारा अलग-अलग जानकारी देना ही प्रमाणित करता है कि बड़े पैमाने पर संरक्षित कालाबाज़ारी करवाई गई है, अत: 4 स्तर पर जांच आवश्यक है।

1. संचालनालय स्तर पर–

(क) संचालनालय स्तर पर क्या दो माह का पूरा कोटा देने के बाद तीसरे महीने बीते दो माह में बचे कोटे को घटाकर देने की व्यवस्था, वर्ष 2021 जनवरी से दिसम्बर 2022 तक प्रचलन में थी, यदि हाँ तो हर महीने का जारी कोटे की और जो मात्रा घटाई गई उसकी जांच की जाए।

(ख) संचालनालय के किस अधिकारी को ये जिम्मेदारी दी गयी थी जो हर माह प्रदेश के सारे राशनदुकानों का कोटा जारी करने से पहले फूडइंस्पेक्टर्स द्वारा भरे घोषणा पत्र में बचे कोटा की जानकारी रखता था और उस कोटे को घटाकर आगे के महीने में कोटा जारी करता था?

(ग) कोटा बचे होने के बावजूद पूरा कोटा भेजने के लिए जिम्मेदारी निर्धारित किया जाए।

(घ) खाद्य विभाग के सरकारी सॉफ्टवेयर के जनभागीदारी पोर्टल में हर राशनदुकानों का घोषणा पत्र देखे जाने की व्यवस्था रखी गयी थी। घोटाले का मुद्दा उठने पर जनभागीदारी पोर्टल से घोषणा पत्र हटा दिया गया क्योंकि इससे राशनदुकानों में बचे स्टॉक को देखा जा सकता था। पत्र के साथ नवम्बर 2021 के 450 राशनदुकानों का घोषणा पत्र सक्रियता से निकाल लिया गया है, जो संलग्न है। इन राशनदुकानों में दो से पांच माह का कोटा बचा है, फिर भी इन्हें जनवरी 2021 से हर महीने पूरा कोटा दिया गया है। यह क्यों दिया गया इसकी जिम्मेदारी निर्धारित की जाए।

(ङ) इन राशनदुकानों के राशनकार्ड धारकों की संख्या और इनके आधार पर मासिक कोटे की जानकारी लेकर जांच किया जाए और कार्ड के आधार पर अधिक मात्रा दिया गया है तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्यवाही की जाए।

ऑफिस: ई-1, सिविल लाइन, रायपुर (छ.ग.) | निवास: मौल श्री विहार, [illegible] नगर, रायपुर (छ.ग.)

Scanned with ACE Scanner

डॉ. रमन सिंह
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भाजपा | पूर्व मुख्यमंत्री, छ.ग.

0771-4281001
0771-4281002

2. नागरिक आपूर्ति निगम स्तर पर– खाद्य संचालनालय के द्वारा जारी कोटा को जिस राशनदुकान के गोदाम में दो से पांच माह का कोटा पहले से रखा हुआ है उस गोदाम में जगह न होने पर किस स्थान पर चावल कोटा रखा गया। इस गोदाम में रखने की सूचना अपने कार्यालय में दिया गया अथवा नहीं?

3. फूड इंस्पेक्टर स्तर पर - फूड इंस्पेक्टर द्वारा अपने मॉड्यूल में आखिरी बार कब राशनदुकानों के घोषणा पत्र की एंट्री की गई? उस समय पत्र के साथ संलग्न पत्र के राशनदुकानों में कितना स्टॉक था? घोषणा पत्र का सत्यापन फूड इंस्पेक्टर से कराया जाए। फूड इंस्पेक्टर को घोषणा पत्र न भरने की लिखित सूचना, संचालनालय द्वारा कब दिया गया?

4. राशनदुकान स्तर पर– इस भ्रष्टाचार का खुलासा होने के बाद से प्रदेश में कांग्रेस सरकार द्वारा राशन दुकान संचालकों पर भरपाई के लिए दबाव बनाया जा रहा है और विभाग की गलती उनके माथे पर मढ़ी जा रही है जिस पर राशन दुकान संचालकों का कहना है कि जब उनके पास कोटे का राशन पहुंचा ही नहीं है तो वह कहाँ से भरपाई करेंगे, इस मामले में निम्नलिखित विषय पर जांच आवश्यक है।

(क) राशन दुकान में राशन कार्ड की संख्या कितनी है और उस आधार पर कोटा कितना होता है?

(ख) जांच किये जाने पर कितना कोटा पाया गया?

(ग) राशन दुकानदार द्वारा आखिरी बार घोषणा पत्र किस माह भरा गया?

(घ) राशनदुकान में स्टॉक रजिस्टर है अथवा नहीं? होने की स्थिति में स्टॉक मात्रा क्या है?

(ङ) राशनदुकान के गोदाम की क्षमता कितनी है और उसमें एक समय पर कितना राशन कोटा रखा जा सकता है?

(च) अगर राशनदुकान में जगह नहीं थी तो कोटा कहाँ रखा गया और इसकी लिखित सूचना किस अधिकारी को दी गयी उसकी प्रति लिया जाए।

छत्तीसगढ़ के गरीब जनता के अधिकार के राशन में इतनी बड़ी हेराफेरी और भ्रष्टाचार से प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था पूरी तरह हासिये पर खड़ी है। इस भ्रष्टाचार की वजह से ही जो छत्तीसगढ़ कभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में देश में आदर्श राज्य हुआ करता था आज वह 19वें स्थान पर पहुंच चुका है और कांग्रेस के कुशासन की

ऑफिस: 1, सिविल लाइन, रायपुर (छ.ग.) | निवास: मौलश्री विहार, [illegible] नगर, रायपुर (छ.ग.)

Scanned with ACE Scanner

डॉ. रमन सिंह
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भाजपा | पूर्व मुख्यमंत्री, छ.ग.

0771-4281001
0771-4281002

बदौलत गरीब जनता के राशन में भारी धांधली की जा रही है। इसके साथ ही राशन दुकानों और खाद्य विभाग के बीच चल रही सांठगांठ को सुचारू रूप से चलाने के लिए पहले की पारदर्शी व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया, खाद्य सुरक्षा नियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) नियम 2017 के अनुसार राशन सामग्री का व्यपवर्तन गंभीर अपराध है अतः अरबों रूपये के राशन घोटाले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) अथवा आपके विभाग के अधिकारियों की बड़ी टीम से करवाने का कष्ट करें।

दिनांक -02/04/2023

(डॉ. रमन सिंह)

प्रति

श्री पीयूष गोयल जी
माननीय केन्द्रीय मंत्री
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार
179, कृषि भवन,नई दिल्ली 110001

ऑफिस: ई-1, सिविल लाइन्स, रायपुर (छ.ग.) | निवास: मौलश्री विहार, शांति नगर, रायपुर (छ.ग.)

Scanned with ACE Scanner